रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 390] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 1986/आश्विन 3, 1908
No. 390] NEW DELHI, THURSDAY, SEPT. 25, 1986/ASVINA 3, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

श्रम मंत्रालय

(अधिसूचना)

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1986

का. आ. 690 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय के उप सचिव श्री शिव कुमार को 26 सितम्बर, 1986 से पहली अक्तूबर, 1986 तक रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी नियुक्त करती है ।

[सं. एस-11011/2/84 उत्प्रवास-2]
ए. के. टण्डन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th September, 1986

S.O. 690 (E).—In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government hereby appoints Shri Shiv Kumar, Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Labour to be the registering authority with effect from 26th September, 1986 to 1st October, 1986.

[No. S-11011(2)/84-Emig. II]

A. K. TANDON, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986